कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/18–19 दिनांकः 05.12.2018

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय

अति–आवश्यक

विषयः– लेपटॉप,स्कूटी क्रा वितरण एवं आधिक्य साईकिलों, का आवश्यकता वाले दूसरे नोडल एवं विद्यालयों में भिजवाया जाकर वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने बाबत ।

प्रसंग :–इस कार्यालय का पत्रांक शिविरा/माध्य/लेखा/डी–2/28011/18–19 दिनांक 29.11.2018

––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व वर्षो में जिला शिक्षा अधिकारियों की मांग के अनुसार क्रय आदेश देने के बावजूद पूरे राज्य में शिक्षण सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में क्रमशः 5781 एवं 3468 साईकिलें वितरण से शेष रह गई थी । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय द्वारा विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा साईकिलों की अतिरिक्त मांग में 5 प्रतिशत कटौती करते हुए सम्बन्धित फर्मो को क्रय आदेश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.09.2018 द्वारा दिया गया था । उसी अनुसार फर्म ने साईकिलों की आपूर्ति करनी बताई है ।

किसी विद्यालय/ नोडल केन्द्र पर साईकिले वितरण के पश्चात् आधिक्य/शेष रह जाती है तो उस साईकिलों की आपूर्ति पास के नोडल केन्द्रो पर जहां साईकिलों की आवश्यकता है, भिजवाई जानी सुनिश्चित कराई जावे । इसके लिए इस कार्यालय से किसी भी प्रकार की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है । राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–1) पत्रांक एफ. 1(7) शिक्षा–1/2009 पार्ट–4 दिनांक 29.11.18 के कम में निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.3 (1) (15)1/निर्वा/2018/11437 जयपुर दिनांक 28.11.2018 के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्र क्रमांक– 437/आर.जे.–एल.ए/2018 /एन.एस.–1 दिनांक 28.11.2018 के द्वारा निःशुल्क साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी वितरण के सम्बन्ध में सहमति प्रदान की गई है । अतः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.11.2018 द्वारा आपको साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी वितरण 05 दिवस के अन्दर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये थे । लेकिन किसी कारणवश कई जिलो से साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी वितरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई । अतः इस कार्यालय द्वारा समय समय पर पारित दिशा निर्देशो को ध्यान में रखते हुए कक्षा–9 की छात्राओं को साईकिल वितरण की पूर्ण कार्यवाही दिनांक 10.12.2018 तक की जाकर प्रगति रिपोर्ट से प्रतिदिन इस कार्यालय को अवगत कराया जावे । निर्धारित अवधि में वितरण की पूर्ण

......2.....

www.rajteachers.com

कार्यवाही कर किसी भी नोडल एवं विद्यालयों के स्टॉक में साईकिल वितरण करने से शेष नहीं होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भिजवाया जावे । लेपटॉप. एवं स्कूटी का वितरण भी दिनांक 10.12.2018 तक पूर्ण किया जावे । इस सम्बन्ध में समस्त विद्यालयों एवं नोडल केन्द्रों को अपने स्तर पर अवगत कराया जावे । इसे अति आवश्यक समझा जावे ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा / माध्य / लेखा / डी–2 / 28011 / 18–19 दिनांक: 05.12.2018

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त परिक्षेत्र को प्रति पृष्ठांकित कर निर्देश दिये जाते है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा साइकिल के वितरण के बारे में जारी उपरोक्त दिशा निर्देशो को ध्यान में रखते हुए अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद कर साईकिल वितरण की कार्यवाही 05 दिवस के अन्दर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे । लेकिन कई जिलो में साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी के वितरण की पूर्ण कार्यवाही नहीं होने के कारण राजपत्रित अवकाश दिनांक 08.012.2018 एवं 09.12.2018 को अधीनस्थ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय खुला रखा जाकर साईकिल, लेपटॉप एवं स्कूटी वितरण की कार्यवाही दिनांक 10.12.2018 तक पूर्ण कर प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट से इस इस कार्यालय को अवगत करावें ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com